



पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड की गई 7 हजार रुपये की संपूर्ण धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 7,000/- ₹0 की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में जैनव फातिमा निवासी प्रेम नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 23.07.2025 को गूगल पे के माध्यम से प्रार्थिनी के साथ 7,000/- ₹0 का फ्रॉड कर लिया गया था। प्राप्त सूचना पर थाना कोतवाली साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 02.08.2025 को फ्रॉड की गयी 7,000/- रुपये की धनराशि पीड़िता के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव।
2. अपराध निरीक्षक राजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।
3. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव।





पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड की गई 7500/- रुपये की संपूर्ण धनराशि कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पेमेन्ट एप के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 7,500/- रु0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ितों के खाते में रिफण्ड कराई गई।

प्रकरण 01- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में रामनरेश निवासी अमीरअली खेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 26.07.2025 को फोन पे के माध्यम से प्रार्थी के साथ 5,000/- रु0 का फ्रॉड कर लिया गया था। प्राप्त सूचना पर थाना कोतवाली साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 02.08.2025 को फ्रॉड की गयी 5,000/- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

प्रकरण 02- थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में रजत कुमार निवासी अकरमपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.07.2025 को पेमेन्ट एप के माध्यम से प्रार्थी के साथ 2,500/- रु0 का फ्रॉड कर लिया गया था। प्राप्त सूचना पर थाना कोतवाली साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 02.08.2025 को फ्रॉड की गयी 2,500/- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।
2. अपराध निरीक्षक राजेश कुमार यादव थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।
3. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव ।





प्रेस नोट, दिनांक 02.08.2025
थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद
उन्नाव ।

दो चोर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी के पीतल के बर्तन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.08.2025 को थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 02.08.2025 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1.महेश पुत्र सन्तू राजपूत 2. अविनाश पुत्र गुड्डू राजपूत निवासी गण ग्राम ढकिया लोध थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को पर ग्राम ढकिया के बाहर खिलावन के बगीचे के पास से चोरी के एक अदद बटुआ पीतल व दो अदद कलिसिया पीतल व एक अदद लोटा पीतल का बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1.महेश पुत्र सन्तू राजपूत निवासी ग्राम ढकिया लोध थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।
2. अविनाश पुत्र गुड्डू राजपूत निवासी ग्राम ढकिया लोध थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।

माल बरामदगी

- 1.एक अदद बटुआ पीतल
- 2.दो अदद कलिसिया पीतल
- 3.एक अदद लोटा पीतल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्णेन्द्र कुमार
2. हे0का0 धर्मपाल
3. का0 रोहताश





प्रेस नोट, दिनांक 02.08.2025
थाना औरास, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.07.2025 को मुकदमा वादिनी की तहरीर पर थाना औरास पर मु0अ0सं0 233/2025 धारा 137(2) पंजीकृत कराया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 02.08.2025 को थाना औरास पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बबलू पुत्र नन्हेलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम लोनारपुरवा थाना बघौली जनपद हरदोई हाल पता ग्राम सरैया थाना गोकुल बेहटा हरदोई को धमियाना चौराहा संडीला रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

01. बबलू पुत्र नन्हेलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम लोनारपुरवा थाना बघौली जनपद हरदोई हाल पता ग्राम सरैया थाना गोकुल बेहटा हरदोई

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.उ0नि0 श्री उपेन्द्र पटेल
- 02.हे0का0 त्रिवेणी प्रताप सिंह

